हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टी.ए./2023/3517/नागौर

फुले खां बनाम गणेशराम

एकल–पीठ
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थित :–
(1) श्री जी. एस. लखावत, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री प्रशान्त सोनी अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक :– 20–9–2023

निर्णय

1– यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 सपठित धारा–221 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना के आदेश दिनांक 12–04–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय में प्रार्थी फुले खां ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि खेत खसरा संख्या 306 हाल खसरा संख्या 451, 250, 261 नये खसरा नंबर 451, 392, 376 ग्राम दीनदारपुरा बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र सिविल जज डीडवाना में प्रकरण संख्या 41/12/2019 भंवराराम बनाम फुले खां चल कर दिनांक 26/11/2019 को निर्णय होकर फैसल हो चुकी है। उक्त प्रकरण की विषय वस्तु, वादग्रस्त आराजी पक्षकार अनुतोष, प्रार्थना, प्लीडिंग आदि एक समान होने से वाद व पेश उक्त उनवान प्रकरण विधि वर्जित होकर प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। अतः उक्त प्रकरण को खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–4–2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज कर दिया। उसी दिनांक को

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2023/3517/नागौर** **फुले खां बनाम गणेशराम**	
	अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का विक्रय हस्तांतरण आगामी सुनवाई तक नहीं करने बाबत् स्थगन आदेश पारित किया है। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी की ग्राह्यता पर सुनी गई। 4- विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि मंडल के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना जिला नागौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/04/2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के द्वारा अपने समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध मंडल के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के द्वारा 2014 डीएनजे रेवेन्यू पेज 35 में व्यवस्था प्रदान की गई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/04/2023 मे अधिनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना ने धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 11 सीपीसी को खारिज कर पृथक से आदेश पारित किया गया है, तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी पेशी तक जारी करने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दो विभिन्न प्रकार के आदेश पारित किए गए है जिनको एक निगरानी / अपील के माध्यम से चुनौती नही दी सकती है। इसलिए उपरोक्त निगरानी विधिक प्रावधानों के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के द्वारा पत्रावली संख्या 13 / 2020 में पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2023/3517/नागौर** **फुले खां बनाम गणेशराम**	
	12/04/2023 आगामी पेशी तक पारित किया गया है, जो कि केस डिसाइड की परिभाषा में नहीं होने के कारण मंडल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 230 पोषणीय नही होने के कारण काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज योग्य है। अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1979 पेज 89, डीएनजे 2016 पेज 136, डीएनजे 2017 पेज 37, डीएनजे 2014 पेज 35, आरआरडी 1980 पेज 449 की नजीरे पेश की। 5- जवाब में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया है कि उपखण्ड अधिकारी ने जो स्थगन आदेश दिनांक 12-4-2023 जारी किया है वह पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि इसी वादग्रस्त भूमि से संबंधित बेचान को निरस्त कराने हेतु सहायक कलेक्टर डीडवाना ने वाद प्रस्तुत करने वाले वादी श्री गणेशाराम के पिता भंवराराम पुत्र रूघाराम द्वारा सिविल न्यायालय डीडवाना द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 13/2019 भंवराराम उर्फ भंवरलाल बनाम फुले खां व अन्य प्रस्तुत किया। जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 26-11-2019 को भवराराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं आदेश 40 नियम-1 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया एवं प्रार्थी फुले खां व अन्य की ओर से प्रस्तुत काउंटर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी गणेशाराम को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे व उपयोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। सिविल न्यायालय, डीडवाना के आदेश दिनांक 26-11-2019 से वर्तमान अप्रार्थी गणेशाराम एवं अन्य अप्रार्थीगण पाबन्द है। सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के पश्चात् उसी विवादित भूमि से संबंधित अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 12-4-2023 एवं सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26-11-2019 परस्पर विरोधाभाषी आदेश है। विचारण न्यायालय के समक्ष सिविल	

न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 26-11-2029 पत्रावली पर उपलब्ध था तथा दौराने बहस भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह बिन्दू न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर आदेश दिनांक 12-4-2023 पारित किया गया है। जो क्षेत्राधिकार से परे एवं विधि विरूद्ध आदेश की श्रेणी में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि विरूद्ध आदेश न्यायालय की जानकारी में आने पर ऐसे आदेश को धारा 221 आरटीए 1955 के तहत राजस्व मंडल को प्राप्त शक्तियों के तहत किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विचारार्थ ग्रहण की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12-4-2023 निरस्त किया जावे।

6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मत अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सिविल न्यायालय में वर्तमान अप्रार्थी गणेशाराम के पिता भवराराम द्वारा दीवानी प्रकरण 13/19 प्रस्तुत किया। जिसमें भवराराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वर्तमान अप्रार्थी फुलेखां की काउंटर टीआई स्वीकार की जाकर वर्तमान अप्रार्थीगण को कब्जे काश्त एवं विवादित आराजी के उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया है। सहायक कलेक्टर न्यायालय डीडवाना में भंवराराम के पुत्र गणेशाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-4-2023 में विवादित आराजी के विक्रय एवं हस्तांतरण पर आगामी पेशी तक वर्तमान प्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है। सिविल न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेश दिनांक 26-11-2019 एवं 12-4-2023 का अवलोकन करने से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि सिविल न्यायालय द्वारा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2023/3517/नागौर** **फुले खां बनाम गणेशराम**	
	मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे एवं उपयोग व उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश पारित किया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-4-2023 में विवादित आराजी को विक्रय एवं हस्तांतरण नहीं करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की गई है। दोनों न्यायालयों के आदेश परस्पर विरोधाभाषी नहीं है। 8- प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसमें दिनांक 12-4-2023 को दो आदेश पारित किये जाने का उल्लेख है। जिसमें धारा 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली करने का उल्लेख है। दूसरा आदेश अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। जिसमें अप्रार्थीगण को वर्तमान प्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी के विक्रय हस्तांतरण नहीं करने बाबत पाबन्द किया गया है। धारा 11 सीपीसी पर पारित विस्तृत आदेश दिनांक 12-4-2022 पृथक से पत्रावली में सलंग्न है। दो पृथक-पृथक प्रकृति के आदेशों के विरूद्ध पृथक-पृथक निगरानी प्रस्तुत की जाकर ही चुनौती दी जा सकती है। प्रार्थी द्वारा दो पृथक-पृथक आदेशों के विरूद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत कर चुनौती दी गई है। जिसे विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा इस बाबत् प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों आरआरडी 1980 पेज 449, आरआरडी 1979 पेज 89 में भी यही अभिमत प्रकट किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पारित आदेश दिनांक 12-4-2023 भी अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन राजस्व मंडल में निगरानी संधारण योग्य नहीं है। 8- अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी मंडल के समक्ष संधारण योग्य नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर खारिज	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2023/3517/नागौर** **फुले खां बनाम गणेशराम**	
	की जाती है। प्रार्थी धारा-11 सीपीसी के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-4-2023 के विरूद्ध पृथक से निगरानी प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2023/3517/नागौर** **फुले खां बनाम गणेशराम**	